म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'', विट्ठन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462 016
फोन–0755–2464643, 2430154, 2463585, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.org ई–मेल : secmperc@sancharnet.in

(Gazette Notification dated 5.12.2008)

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2008

क्रमांक 2478 –.मप्रविनिआ–2008. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 86(1)(एच) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2506/मप्रविनिआ/2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण, प्रथम वर्ष 2005) में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 में चतुर्थ संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ :** (i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 (चतुर्थ संशोधन) [ए {आर जी – 14 (I) (iv)}, वर्ष 2008]** कहलाएगी ।

(ii) इस संहिता में किया गया संशोधन/परिवर्धन इसके शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगा ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **कथित संहिता की धारा 5 में संशोधन :**

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 जिसे एतद् पश्चात **प्रधान संहिता** कहा जावेगा, की **धारा 5 की कण्डिका 5.10** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''5.10 संसूचना सुविधाएं :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत ग्रिड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण हेतु, **समस्त उपयोगकर्ताओं द्वारा** संसूचना तथा आंकड़ों के आदान–प्रदान की सुविधा हेतु विश्वसनीय तथा दक्ष वार्तालाप व्यवस्था तथा आंकड़ा संसूचना प्रणालियां प्रदान की जावेंगी । समस्त उपयोगकर्ता वांछित सुविधाएं उनके तत्संबंधी अन्तिम छोर तक **तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र** पर प्रदान करेंगे तथा इसे संयोजन अनुबंध में अंकित किया जावेगा ।''

3. **कथित संहिता की धारा 8 में संशोधन :**

प्रधान संहिता में, धारा 8 (अनुसूची एवं प्रेषण) की निम्न कण्डिकाएं प्रतिस्थापित की जावेंगी, अर्थात् :

''8.1 प्रारंभिक

यह धारा अनुसूची तथा प्रेषण के अन्तर्गत विभिन्न राज्यीय इकाईयों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के मध्य दायित्वों का सीमा निर्धारण करती है ।

8.2 उद्देश्य :

इस धारा का उद्देश्य अन्तर्राज्यीय उत्पादन स्टेशन (आईएसजीएस), राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशन (एसएसजीएस), संयुक्त उपक्रमों, कैप्टिव पावर संयंत्रों (सीपीपी) तथा खुली पहुंच के क्रेताओं के विस्तृत अनुसूचीकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादक तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रेषण/आहरण की दैनिक अनुसूची को तैयार करना तथा प्रदान किये जाने संबंधी दायित्व को संव्यवहारित किया जाना है । यह धारा वास्तविक समय प्रेषण/आहरण दिशा–निर्देश जारी करने तथा आवश्यकतानुसार इनके राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशन तथा विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु पुनर्अनुसूचीकरण तथा अनुसूचियों से विचलन होने पर वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की कार्यपद्धति भी प्रदान करती है ।

8.3 अनुसूचीकरण के सामान्य सिद्धान्त :

8.3.1 समस्त अनुसूचीकरण 15–मिनट के समय–खण्ड के आधार पर किया जावेगा । अनुसूचीकरण के इस प्रयोजन हेतु, 00.00 बजे से प्रारम्भ होकर 24.00 बजे पर समाप्त होने वाले प्रत्येक दिवस को 15–मिनट अवधि के 96 समय–खण्डों में विभाजित किया गया है । राज्य भार प्रेषण केन्द्र अग्रिम रूप से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, आहरण अनुसूची तथा प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशन हेतु विद्युत उत्पादन अनुसूची अग्रिम रूप से संकलित करेगा तथा उन्हें इस बारे में संसूचित करेगा ।

8.3.2 वरीयता क्रमानुसार प्रचालन (Merit-order operation) : विद्युत वितरण कम्पनियां उनकी विद्युत संबंधी मांगे वरीयता क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगी, अर्थात् अन्तर्राज्यीय उत्पादन स्टेशन/राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशन/संयुक्त उपक्रम/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों तथा द्विपक्षीय विनिमयों तथा सामूहिक संव्यवहार (Collective Transaction) की विद्युत संबंधी कीमत के ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार (on ascending order) ।

8.3.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी विद्युत वितरण कम्पनी हेतु जारी की गई शुद्ध आहरण अनुसूची, विभिन्न राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशनों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों तथा संयुक्त उपक्रम परियोजना, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के अंशदान तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्षेत्र के अन्दर/बाहर किसी अन्य अभिकरण (एजेन्सी) से सम्मत द्विपक्षीय विनिमय तथा खुली पहुंच क्रेताओं की ओर से आहरण/अन्तःक्षेपण, परियोजनाओं के विद्युत संयंत्र से (Ex-power plant) अनुसूचियों का योग होगी ।

8.3.4 प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन की उत्पादक अनुसूची प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा की गई मांग का योग होगी जो उनके स्वत्वाधिकार के अन्तर्गत निर्बन्धित होगी तथा उच्चतम तथा न्यूनतम मूल्यों के मानदण्डों अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट अन्य तकनीकी संरोध (Constraint) के अध्यधीन होगी ।

8.3.5 विद्युत वितरण कम्पनियां उनके विद्युत आहरणों को इस प्रकार संधारित करने के प्रयास करेंगी कि जब कभी आवृत्ति (frequency) सामान्य मान से कम हो तो वे ग्रिड से आधिक्य आहरण नहीं करेंगी तथा जब कभी आवृत्ति सामान्य मान से अधिक हो तो वे कम आहरण नहीं करेंगी । इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन उनके विद्युत उत्पादन को इस ढंग से संधारित किये जाने के प्रयास करेंगे कि आवृत्ति सामान्य मान से अधिक होने पर अनुसूची से अधिक विद्युत उत्पादन नहीं करेंगी तथा आवृत्ति सामान्य मान से कम हो जाने पर अनुसूची से कम विद्युत उत्पादन नहीं करेंगी ।

8.3.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित की गई उत्पादन अनुसूचियां तथा आहरण अनुसूचियां, संसूचना सफलता से असम्बद्ध, विनिर्दिष्ट समय–खण्ड से प्रभावशील हो जावेंगी ।

8.3.7 जनरेशन कम्पनी के अनुसूचित उत्पादन के किसी भी पुनरीक्षण हेतु, घटनोत्तर माने गये पुनरीक्षण को सम्मिलित करते हुए; विद्युत वितरण कम्पनियों के अनुसूचित आहरणों का तत्संबंधी पुनरीक्षण किया जावेगा ।

8.3.8 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचियों में परिवर्तन किये जाने के संबंध में, समय कारक पर यथोचित विचार करते हुए संसूचना का अभिलेखन किये जाने हेतु, एक प्रक्रिया विकसित की जावेगी [(ध्वनि अभिलेखन मय समय मुद्रांकन के (Voice Recorder with time stamping)] ।

8.3.9 विद्युत उत्पादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवस के शीर्ष समय (peak) के दौरान घोषित क्षमता, शीर्ष–बाह्य (off-peak) अवधि की घोषित क्षमता से अधिक न हो ।

अपवाद : विद्युत प्रदाय में अवरोध (Tripping)/विवशजन्य विद्युत अवरोध (forced outage) के कारण यूनिटों का पुनःसमकालन (re-synchronization) किया जाना ।

8.3.10 अनुसूचियों को तैयार करते समय निम्न विशिष्ट बिन्दुओं पर विचार किया जावेगा :

(i) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि परिणामी विद्युत प्रवाह किसी प्रकार की पारेषण विवशताओं में परिणत नहीं होते । किसी प्रकार की विवशताएं होने पर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों को संसूचित करते हुए, अनुसूची को वांछित सीमा तक संयत (moderate) करना होगा ।

(ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि विशेषकर दरों में वृद्वि/कमी के रूप में अनुसूचियां तथा न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन स्तरों का अनुपात संक्रियात्मक रूप से युक्तियुक्त हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूची को संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों को संसूचित करते हुए वांछित सीमा तक संयत करेगा । विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों के संबंध

में दरों में वृद्धि/कमी को तकनीकी आंकड़ों पर आधारित किया जावेगा जैसा कि इसकी अभिपुष्टि उत्पादक स्टेशनों द्वारा की जावेगी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इनके संबंध में परस्पर सहमति की अभिव्यक्ति की जावेगी ।

8.3.11 विद्युत वितरण कम्पनियों की शुद्ध आहरण अनुसूचियों की गणना हेतु, पारेषण हानियों का विभाजन उनकी आहरण अनुसूचियों के अनुपात में किया जावेगा ।

8.4 अनुसूचीकरण प्रक्रिया :

(i) प्रति दिवस 10.00 बजे तक, प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी दिवस हेतु प्रत्याशित स्टेशन–वार विद्युत संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर क्षमता (Capabilities), अर्थात् आगामी दिवस के 00.00 बजे से 24.00 बजे तक, 15–मिनट के अन्तराल बाबत परामर्श प्रदान करेगा ।

(ii) प्रति दिवस 10.00 बजे तक, पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (WRLDC) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन से 15–मिनट खण्ड हेतु मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकार (entitlement) अनुसूची प्रेषित करेगा ।

(iii) उपरोक्त जानकारी के आधार पर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र दोनों अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों तथा राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों हेतु उत्पादक उपलब्धता तथा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकार आगामी दिवस के दौरान, 15–मिनट के अन्तराल हेतु संकलित करेगा, जिसे एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कम्पनियों को 12.00 बजे तक संसूचित किया जावेगा ।

(iv) विभिन्न राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशनों तथा अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियां, उनकी मांग संरचना के आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र को एमपी ट्रेडको के माध्यम से प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन तथा राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन में 13.00 बजे तक मांग प्रस्तुत करेंगी । एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कम्पनियां अन्य विद्युत वितरण कम्पनियों की बचत/कमी, यदि यह विद्यमान हो, प्रकट करेंगी ।

(v) 13.30 बजे तक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कम्पनियों को अन्य विद्युत वितरण कम्पनियों की बचत/कमी के संबंध में यदि वह विद्यमान हो, संसूचित करेगा ।

(vi) 14.00 बजे तक, एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कपंनियां राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों तथा अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों, मय विद्युत वितरण कम्पनियों के द्विपक्षीय विनिमयों तथा अर्न्त–विद्युत वितरण कम्पनियों/अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच संव्यवहारों के, उनकी मांग के संबंध में, परामर्श प्रदान करेंगी । स्टेशन–वार मांगों को निर्दिष्ट करते समय, विद्युत वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि

किया गया परिवर्तन पूर्व की मांग के 10 प्रतिशत से अधिक न हो । विद्युत वितरण कंपनियां राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों से उनकी मांगों को अन्तिम रूप देते समय, उन अनुमानित हानियों पर भी विचार करेंगी जो उनकी विद्युत संयंत्र (Ex-power plant) अनुसूचियों से घटाई जावेंगी ।

(vii) 15.00 बजे तक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र मध्यप्रदेश राज्य की मांग को पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को प्रेषित करेगा । तत्पश्चात, पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, प्रत्येक राज्य हेतु अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से अनुसूची को 17.00 बजे तक प्रेषित करेगा ।

(viii) 18.00 बजे तक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों की विद्युत उत्पादन अनुसूची तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की आहरण अनुसूची को अन्तिम रूप देगा ।

- राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों को उत्पादन अनुसूची, अर्थात् एक्स–विद्युत संयंत्र प्रेषण अनुसूची संसूचित करेगा ।
- राज्य भार प्रेषण केन्द्र, एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कम्पनियों को आहरण अनुसूची निम्नानुसार संसूचित करेगा :

(अ) आहरण अनुसूची, अर्थात् अति उच्च दाब परिधि पर अनुसूची (राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों तथा अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से अनुसूची का योग), वास्तविक समय मांग पर आहरण के अनुवीक्षण हेतु, मेगावाट में ।

(ब) उपरोक्त आहरण अनुसूची में शुद्ध आहरण अनुसूची भी सम्मिलित होगी, अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी की परिधि पर अनुसूची, विभाजित की गई अनुमानित पारेषण हानियों को घटाकर (राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों तथा अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से अनुसूची का योग), गैर–अनुसूचित आदान–प्रदान (UI - Unscheduled Interchange) की गणना हेतु, उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयंत्रों (ABT meters) के अनुसार वास्तविक ऊर्जा आहरण के आधार पर ।

(ix) विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशन उपरोक्त अनुसूची में किये जाने वाले परिवर्तनों (modifications) को, यदि कोई हों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को 21.30 बजे तक संसूचित कर सकेंगे ।

(x) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से संबंधित परिवर्तनों अथवा अन्तर्राज्यीय ऊर्जा अन्तरण को पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को 22.00 बजे तक संसूचित करेगा ।

(xi) 23.00 बजे तक, पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों की अन्तिम आहरण अनुसूची की प्राप्ति उपरान्त तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निर्दिष्ट

किये गये परिवर्तनों पर विचारोपरान्त, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन तथा एमपी ट्रेडको/विद्युत वितरण कम्पनियों को 23.30 बजे तक अन्तिम विद्युत उत्पादन/आहरण अनुसूची जारी करेगा ।

8.5 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, दिवस–पूर्व विद्युत उत्पादन अनुसूची, निम्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा :

(अ) पारेषण प्रणाली में समय–समय पर होने वाले संरोध (constraints) ।

(ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा घंटेवार आकलित की गई भार की मांगें ।

(स) प्रचालन–योग्य मात्राओं (operating margins) को प्रदान किये जाने की आवश्यकता तथा अनुरक्षण की जाने वाली संचिति (Reserves) ।

(द) राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशनों तथा अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से विद्युत उत्पादन की उपलब्धता, मय प्रत्येक प्रकरण में होने वाले संरोध के ।

8.6 वास्तविक समय प्रचालन के अन्तर्गत अनुसूची को पुनरीक्षण किये जाने संबंधी नियम

(i) किसी इकाई के विवशपूर्ण अवरोध के प्रकरण में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूचिओं का पुनरीक्षण उत्पादक (राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन) द्वारा पुनरीक्षित घोषित योग्यता के आधार पर करेगा । पुनरीक्षित अनुसूची चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जावेगी, जिसकी गणना उस समय–खण्ड को प्रथम मानकर की जावेगी, जिसके अन्तर्गत उत्पादक द्वारा पुनरीक्षण किये जाने का परामर्श प्रथमतः प्रदान किया गया हो ।

(ii) पारेषण में संरोध (Transmission Constraint) के कारण विद्युत की निकासी में आई किसी अड़चन के कारण किसी परिस्थिति में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूची का पुनरीक्षण करेगा, जिसके समय–खण्ड की गणना उक्त समय–खण्ड को प्रथम मानकर की जावेगी, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पारेषण संरोध संबंधी जानकारी प्रथमतः लाई गई हो । प्रथम तीन समय–खण्डों के अन्तर्गत भी, अनुसूची को राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन द्वारा किये गये वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किये गये वास्तविक आहरण के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जावेगा ।

(iii) किसी ग्रिड विक्षोभ की दशा में, समस्त उत्पादक स्टेशनों का अनुसूचित विद्युत उत्पादन तथा समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के अनुसूचित आहरण, ग्रिड विक्षोभ के कारण प्रभावित हुए समस्त समय–खण्डों हेतु, वास्तविक विद्युत उत्पादन/आहरण के बराबर पुनरीक्षित किये गये माने जावेंगे। ऐसे ग्रिड विक्षोम की वास्तविक अवधि राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार घोषित की जावेगी।

(iv) दिवस की अवशेष अवधि हेतु, राज्य सेक्टर उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित क्षमता तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा की गई मांगों के पुनरीक्षण को अग्रिम सूचना के आधार पर अनुज्ञेय किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित क्षमताएं छठे समय–खण्ड से प्रभावशील

हो जावेंगी, जिसकी गणना उक्त समय–खण्ड को प्रथम मान कर की जावेगी, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनरीक्षण हेतु अनुरोध प्रथमतः प्राप्त किया गया हो ।

(v) इसी प्रकार किसी प्रकरण में, यदि कोई विद्युत वितरण कम्पनी द्विपक्षीय अनुसूचियों में पुनरीक्षण किये जाने की इच्छुक हो तो अन्य भागीदार को इसकी पुष्टि एक घंटे की अवधि के भीतर करनी होगी । ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित अनुसूची छठे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जावेगी, जिसकी गणना उक्त समय खण्ड को प्रथम मान की की जावेगी, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनरीक्षण हेतु अनुरोध प्रथमतः प्राप्त किया गया हो ।

(vi) यदि किसी समय–स्थिति में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह परिवीक्षण करता है कि बेहतर प्रणाली प्रचालन के हित में अनुसूची को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है, तो वह स्वयं इसे क्रियान्वित कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित अनुसूची चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जावेगी, जिसकी गणना उक्त समय–खण्ड को प्रथम मान कर जावेगी, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पुनरीक्षित अनुसूची प्रथमतः जारी की गई हो ।

(vii) यदि किसी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन से पुनरीक्षण प्राप्त किया गया हो तो क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, अनुसूची के पुनरीक्षण हेतु समस्त सुसंगत जानकारी सम्मिलित करते हुए वास्तविक समय आधार पर जानकारी तात्कालिक प्रसारित (Flash) करेगा जिस पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षण की प्रक्रियां को संव्यवहारित करेगा । क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु पुनरीक्षण का कार्यान्वयन समय एक समान होगा ।

8.7 आंकड़ा पंजीयन :

उपयोगकर्ता, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस भाग हेतु आंकड़े उपलब्ध करायेगा, जैसा कि संहिता के आंकड़ा पंजीयन भाग में विनिर्दिष्ट किया गया है ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव